न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 395/2013
अन्तर्गत धारा 86 राज. काश्तकारी अधिनियम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. सन्तोखसिंह आत्मज श्री हुक्मसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी
2. महेन्द्रसिंह आत्मज श्री करतारसिंह(मृतक)
   - 2.1. श्रीमती महेन्द्रकौर धर्मपत्नी स्व. श्री महेन्द्रसिंह,
   - 2.2. गुरदीपसिंह,
   - 2.3. जगदीशसिंह एवं
   - 2.4. गुरदेवसिंह आत्मजन स्व. श्री महेन्द्रसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– पैरोकार राज (वादी)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी–1)

दिनांक 24 अक्तूबर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 3 कृषि भूमि की बाबत सन्तोखसिंह आत्मज श्री हुक्मसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी द्वारा सुगम में श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि किला नम्बर 3 से श्री महेन्द्रसिंह द्वारा 5 नग टाली (शीशम) काट कर मौका पर काटे गये वृक्षें की लकड़ियां उठाकर ले गया. उक्त कृषि भूमि श्री हुक्मसिंह ¼ हिस्सा, श्री महेन्द्रसिंह ¼ हिस्सा, आत्मज श्री करतारसिंह, श्रीमती ईसरीबाई धर्मपत्नी श्री भजनसिंह 1/12 हिस्सा, श्री मलकीयतसिंह आत्मज श्री भजनसिंह 1/6 हिस्सा, श्रीमती वीराबाई धर्मपत्नी श्री उत्तमसिंह 1/23 हिस्सा, श्री बूढसिंह, श्री करनैलसिंह आत्मजन श्री उत्तमसिंह बहिस्सा बराबर बराबर 10/48 हिस्सा के नाम पर दर्ज है. प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखानुसार संयुक्त खाता की है जिसमें से बिना स्वीकृति के पेड़ हटाये गये हैं जो नियमों के विरूद्व हैं. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में पटवारी हल्का द्वारा जारी फर्द मौका दिनांक 21 मई, 2012, चक 1 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, नजरी नक्शा प्रस्तुत किये गये.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2.1 से 2.4 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी

उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2.1 से 2.4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 18 जुलाई, 2013 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 25 में 10 मरला मृषि भूमि श्री हरीराम आत्मज श्री आसाराम द्वारा दिनांक 25 जून, 1987 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के भाई श्री मक्खनसिंह को विक्रय की गयी थी. प्रश्नगत कृषि भूमि आबादी से चिपती हुई है. प्रतिवादी संख्या 1 उक्त स्थान पर मकान बनाकर रह रहा है इसके अतिरिक्त कोई कृषि भूमि उसके नाम पर नहीं है. यदि इस भूमि को कब्जा में लिया गया तो प्रतिवादी के परिवार के पास अन्य कोई स्थान नहीं है. पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चित्र सलंग्न प्रस्तुत किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3 में 5 नग टाली(शीशम) काटी गयी लकड़ियां श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उठा ली गयी हैं? ...वादी
2. क्या उक्तांकित कृषि भूमि से शिशम के वृक्षों को काटने की पूर्वस्वीकृति प्राप्त की गयी है? ...वादी
3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि पर मकान बना हुआ है और पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गयी है?
4. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चय हेतु पैरोकार राज द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा अन्तिम अवसर, आदेश दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया. जिस पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2014 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी.

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

राज्यपक्ष की ओर से राज्य प्रतिनिधि, पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3 में 5 नग टाली(शीशम) काटी गयी लकड़ियां श्री महेन्द्रसिंह द्वारा उठा ली गयी हैं? ...वादी

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार श्री सन्तोखसिंह आत्मज श्री हुक्मसिंह (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष सुगम में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया है. जिसमें श्री सन्तोखसिंह द्वारा श्री महेन्द्रसिंह द्वारा 5 नग टाली (शीशम) के काट कर मौका पर से काटे गये वृक्षों की लकड़ियां उठाकर ले जाने के तथ्य प्रस्तुत किये गये. किन्तु पैरोकार राज द्वारा प्रथम दृष्टया परिवादी के विरूद्व ही वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. तदोपरान्त, साक्ष्य वादी के बिन्दू संख्या 2 में श्री महेन्द्रसिंह द्वारा वृक्ष काटने के कथन प्रस्तुत किये गये हैं. इसके अतिरिक्त, पटवारी हल्का द्वारा जारी फर्द मौका प्रदर्श–2 में अंकित किया गया है कि चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 3 पर श्री महेन्द्रकसिंह आत्मज श्री करतारसिंह का कब्जा है. मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 3 की पूर्व साईड में टाली के पांच नग काटे पाये गये जिसके मौकापर से मोटी लकड़ियां उठा ली गयी हैं तथा पतली लकड़ी छांगन मौका पर पड़ा हुआ है. इनसे यह तथ्य कतई सिद्व नहीं होता कि महेन्द्रसिंह द्वारा ही 5 टाली(शीशम) के वृक्ष काटे गये हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या उक्तांकित कृषि भूमि से शिशम के वृक्षों को काटने की पूर्वस्वीकृति प्राप्त की गयी है? ...वादी

पटवारी हल्का द्वारा जारी फर्द मौका प्रदर्श–2 के अनुसार महेन्द्रसिंह से वृक्ष काटने की अनुमति मांगने पर अनुमति नहीं होना बताया गया. इस प्रकार श्री महेन्द्रसिंह द्वारा शीशम के वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी. इसके विपरीत विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चय के अनुसार यह तथ्य सिद्व नहीं पाया गया है कि महेन्द्रसिंह द्वारा ही 5 टाली(शीशम) के वृक्ष काटे गये हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 2 भी वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि पर मकान बना हुआ है और पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गयी है? ....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 100/117 मुरब्बा नम्बर 52 का किला नम्बर 3(0.253) हैक्टर नहरी कृषि भूमि है

जिस पर किसी भी प्रकार के निर्माण किये जाने के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नही किये गये हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 3, प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार वादी वादपत्र के तथ्यों को सिद्व करने में नितान्त असफल रहा है. ऐसी स्थिति में, वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय पैरोकार राज एवं अधिवक्ता की उपस्थिति मे खुले न्यायालय में आज दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर